12/3/2022 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उपस्थित। जवाब सरकार के द्वारा वाद स्वीकार है। अत: वाद स्वीकार कर पत्रावली फैसल की गई। निर्णय पृथक से लिखकर नत्थी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

PO
TDR

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.15 12:58:38 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 111/2021 तारीख दायरा– 15.09.2021

उनवान

राजेन्द्र प्रसाद शर्मा पुत्र श्री छीतरलाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम बूढनी तहसील सांगोद जिला कोटा।

–वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगोद जिला कोटा।

– प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 आर. टी. एक्ट 1955

उपस्थित :–

श्री नरेश कुमार गौतम (वकील वादीगण) दिनांक :– 12.03.2022

श्री सरकार पैरोकार

–– निर्णय ––

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.15 12:58:38 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से [illegible] के तथ्य इस प्रकार से है कि वादी की ओर से इस न्यायालय में इस [illegible] प्रस्तुत हुआ कि वादी के शामलाती खाते एवं कब्जेकाश्त की [illegible] नंबर 404 रकबा 0.05 हैक्टर, खसरा नंबर 440 रकबा 0.41 हैक्टर, खसरा नंबर 730 रकबा 0.04 हैक्टर कुल

उपखण्ड मजिस्टेट
सांगोद (कोटा)

किता 3 की कुल 0.50 हैक्टर आराजी वाके ग्राम बूढनी तहसील सांगोद जिला कोटा में स्थित है। वादी का वास्तविक नाम ''राजेन्द्र प्रसाद शर्मा'' है किन्तु वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में ''राजेन्द्र'' अंकित है। राजस्व रिकार्ड में अंकित वादी के नाम एवं अन्य सरकारी दस्तावेजों में अंकित वादी के नाम में भिन्नता होने के कारण वादी को सरकार से अनुदान, मुआवजा राशि प्राप्त करने व अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में परेशानी का सामना करना पड रहा है। वादी ने गत सप्ताह पटवारी हलका से उक्त नाम को दुरूस्त करने का निवेदन किया तो उन्होंने न्यायालय में इन्द्राज दुरूस्ती कार्यवाही करने की राय व्यक्त की। राजस्व रिकार्ड की उक्त त्रुटि को न्यायहित में दुरूस्त किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। यदि राजस्व रिकार्ड में उक्त दुरूस्ती नहीं की गई तो वादी को ऐसी अपरिमित क्षति होगी जिसकी भविष्य में कभी पूर्ति नहीं हो सकेगी। अतः वादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में वादी के बोलते नाम 'राजेन्द्र' के स्थान पर वादी का वास्तविक नाम ''राजेन्द्र प्रसाद शर्मा'' अंकित किया जावे तथा उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद फरमाया जावे।

उक्त आशय का वादपत्र प्रस्तुत होने पर वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर जवाब सरकार प्राप्त किया जिसमें पैरोकार सरकार तहसीलदार सांगोद द्वारा प्रकरण में संबंधित पटवारी हलका द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर राजेन्द्र एवं राजेन्द्र प्रसाद शर्मा का एक व्यक्ति होना [illegible] वादी स्वीकार करने में सहमति व्यक्त की। उभय पक्ष की बहस [illegible] पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड, दस्तावेजों, जवाब सरकार एवं पटवारी रिपो[illegible] का सूक्ष्मतम अवलोकन करने के उपरान्त मैं वाद वादी स्वीकार करना उचित समझती हूँ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.15 12:58:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड मजिस्टेट
सांगोद (कोटा)

अतः दावा वादी स्वीकार कर आदेश पारित किया जाता है कि ग्राम बूढ़नी तहसील सांगोद के खसरा नंबर 404 रकबा 0.05 हैक्टर, खसरा नंबर [illegible] रकबा 0.41 हैक्टर, खसरा नंबर 730 रकबा 0.04 हैक्टर कुल किता 3 की कुल 0.50 हैक्टर आराजी के राजस्व रिकार्ड में अंकित वादी के नाम 'राजेन्द्र' के स्थान पर 'राजेन्द्र प्रसाद शर्मा' अंकित किया जावे। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। विवादित आराजी पर रहन भार होने की स्थिति में बैंक चार्ज पृथक होने के कारण रहन भार यथावत रहेगा। वाद व्यय वादी स्वयं वहन करें। निम्नानुसार डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद
उपखण्ड मजिस्ट्रेट सांगोद (कोटा)

निर्णय आज दिनांक 12.03.2022 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद
उपखण्ड मजिस्ट्रेट सांगोद (कोटा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.15 12:58:38 IST
Reason: SelfAttested